

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
08.09.16	<p>अपीलांत द्वारा जारी अविनाशु शर्चना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज वेरी पर ली गई। अपीलांत ने शर्चना पत्र में विवेक दिया है कि अपीलांत व ऐफी. के मध्य अविनाशु ली की आपसी समझौता से आपस में समझौता हो चुका है। अब अपी. ऐफी. के खिलाफ कोई आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहता है, इसलिये अपील अपीलांत रकारिज कर पत्रावली दारिजल दफ्तर की जावे।</p> <p>हमने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत किये गये शर्चना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत शर्चना पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांत अब इस अपील प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अपीलांत द्वारा अपील आगे नहीं चलाया जाने के कारण अपील पत्रावली इसी स्तर पर रकारिज की जाती है। पत्रा. फौजल शुभार होवर, नम्बर से कम की जावे, बाद तस्मील जाहता दारिजल दफ्तर की जावे।</p>	<p>that press in the file वाली No objection demand 15/9/16 8/9/16</p>
		<p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>